International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 11, Nov- 2023
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से अनुसूचित जनजाति महिलाओं का सशक्तिकरण

(मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में)

संजय कुमार कोचक एवं डा. ऊषा वैद्य
शोधार्थी, पीएच.डी. समाजकार्य,रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश
प्राध्यापक, समाजशास्त्र, मानविकी एवं उदारकला संकाय, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश

सारांश :– स्वयं सहायता समूह से समूह शामिल महिला सदस्यों में सशक्तिकरण को बढावा मिला है। उनमें एक अनुशासन आ जाता है वे समूह की बैठकों में शामिल होने से उनके हौसले बुंलद होते है। वे बैठकों के लिये कार्यसूची के अनुसार काम करने की क्षमता बढती है। इसके साथ ही प्रत्येक महिला सदस्य में बचत की भावना आती है।

शब्दकुंजी – स्वयं सहायता समूह और जनजातिय महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना :–स्वयं सहायता समूह में अति गरीब महिला सदस्य फिर चाहे वह 18 वर्ष की हो या 65 वर्ष की, अपनी स्वेच्छा से समूह की सदस्य बन सकती है। जिससे लिये उसे नियमित रूप से बचत करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, समूह में काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसके साथ ही समूह के लिये समय निकालना भी अति आवश्यक है।

स्वयं सहायता समूह में अपनी नियमित साप्ताहिक बैठक में शामिल होना अनिवार्य है उसके अतिरिक्त सदस्यों में साप्ताहिक बचत में नियमितता आवश्यक है, और जो समूह सामूहिक रूप से निर्णय लेता है, उस पर अमल करना भी अनिवार्य है। सभी समूह के सदस्यों को समूह में रहकर सामूहिक कार्य करना भी आवश्यक है, यदि ये पांच बातें जिसने सीख ली वह समूह का परियोजनाकर्मी भी बन सकता है और समूह के सभी सदस्यों का मुखिया भी बन सकता है।

सामान्य मुददों पर चर्चा, ऋण की वापसी की गांरटी, अगली बैंठक का निर्धारण आदि समूह की सदस्यों द्वारा किया जाता है।

समूह की सदस्य बनने के लिये सबसे पहले समूह का गठन किया जाता है, जिसमें 15 से 20 महिलाओं को शामिल किया जाता है। समूह के गठन के बाद 4 से 8 बैठकों के बाद जब समूह अपने द्वारा बनाये गये नियमों का सही तरीके से पालन करने लगता है तब

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 11, Nov- 2023
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सदस्यों में अपने आप स्थायित्व आने के बाद नजदीकी राष्ट्रीसकृत बैंको से संपर्क कर समूह के समंवयक द्वारा खाता खोलने के बारे में समूह में चर्चा कर खाता खुलवाया जाता है।

खाता खोलने के लिये समंवयक के पास स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नामों की सूची, समूह की नियमावली की प्रतिलिपि, उस बैंठक के कार्यवाही की प्रतिलिपि जिसमें सदस्यों को अपने प्रतिनिधि चुने है। इसके अलावा समूह की बैंठक में बैंक खाता खोलने एवं उसके संचालन संबंधी पारित की गई प्रतिलिपि, प्रत्येक चयनित पदाधिकारी के 3 फोटो, उनके पहचान पत्र जैसे –वोटर कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि।

इसके उपरांत बैंक परिपत्र में परिचायक का हस्ताक्षर जैसे कि गांव का सरपंच, गांव का मुखिया, सरकारी कार्यालय का प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, प्रोत्साहन संस्थाएं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि इसमें से कोई भी हो सकता है। और अंत में समूह की मोहर जो यू.एस.आर.एल.एम. द्वारा प्रस्तावित की गई हो अनिवार्य दस्तावेज है। तब जाकर एक समूह का गठन होता है।

इन स्वयं सहायता समूह का गठन के लिये सबसे पहले 1992–93 में विभिन्न बैंको से जोडा गया, तत्पश्चात 1993–1994 में लगभग 650 समूहों को जोडागया।

इन समूहों का प्रांरभ देश की प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएं जैसे सेल्फ एम्पलाइड वीमेन एशोसिऐशन, अहमदाबाद, मयराडा, बंगलौर आदि के माध्यम से हुई। इस संस्था ने वर्ष 1968 से ही सामाजिक कार्य के प्रति अपनीभूमिका निभाने लगी थी। प्रांरभ में मयराडा ने मुख्य रूप से चीन युद्ध के पश्चात तिब्बत से आये तिब्बतियों को पुनर्स्थापित करने का कार्य शुरू किया। उसके बाद वर्ष 2000 में लाखों लोगों को सुविधायें देकर उनका जीवन स्तर उठाने का कार्य किया गया।

इसके लिये सामुदायिक समूह के माध्यम से ग्रामीण शाखा पद्धति के माध्यम से महिलाओं को संगठित कर उन्हें स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के लिये संगठित कर प्रोत्साहित किया गया।

इसमें ऐसी जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समानता रखती हो। एक छोटे–छोटे समूहों के माध्यम से अपनी–अपनी आवश्यकताओं, समस्याआ, भावनाओं, अपेक्षाओं आदि के साथ जी रही हो अर्थात अपना जीवन–निर्वाह कर रही हो।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 11, Nov- 2023
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अध्ययन का उद्देश्यः–

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से अनुसूचित जनजाति महिलाओं का सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में अध्ययन करना है।

अध्ययन क्षेत्र –

अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के स्वयं सहायता समूह से अनुसूचित जनजाति परिवारों को सर्वे के किया गया है।

निदर्शन प्रक्रिया –

प्रस्तुत अध्ययन में खरगोन जिले के 300 परिवारों का चयन किया गया है और इन परिवारों का सर्वे किया गया है। जिसमें प्राप्त आकडों का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही इस विषय से संबंधित पुस्तकों, मैंगजीन के अलावा सरकार की रिर्पोट, प्रकाशित एवं अप्रकाशित लेखों का अध्ययन कर डाटा इकटठा किया गया है। खरगोन जिले के समूह के माध्यम से वास्तविक स्थिति का पता लगा कर सामने लाने की कोशिश की गई है।

अनुसूचित जनजाति के लोगों भारत में लगभग कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। ऐसे ग्रामीणों को अनेक समस्याओं का सामना करना पडता है। क्योंकि इनके पास कृषि के अलावा अन्य कोई साधन अपनी आय बढाने के लिये नहीं होते है। कृषि में 5–6 महीने तक काम करने के पश्चात ये ग्रामीण अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अन्य विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करते है और जब सभी प्रकार के प्रयत्न करके हार जाते है तो अपनी खेती साहूकारों के पास गिरवी रखकर अपनी जरूरतों को पूरा करते है लेकिन वे बैंको में जाकर ऋण लेने से कतराते है। बैंक भी इनको ऋण देने से हिचकिचाते है, क्योंकि इन ग्रामीणों के पास ऋण चुकाने के लिये कुछ शेष रहता नहीं है। इसलिये ऐसे संकट से उभरने के लिये स्वयंसेवा संस्थाओं की सहायता से कुछ लोग मिलकर आय से छोटी–छोटी बचत कर एक बडी पूंजी इकटठी कर इनकी समस्याओं का समाधान करते है। इसी से परित होकर ये स्वयं सहायता समूह बनाये गये। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह की शुरूआत हुई।

खरगोन जिले के अनुसूचित जनजाति महिलाओं की स्वयं सहायता समूह में भागीदारी निम्न प्रकार से है–

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 11, Nov- 2023
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सारिणी क्र. –1

उत्तरदाताओं के समूह की सभा की बैठक में भाग लेने से संबंधित जानकारी

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	ळां	240	80
2.	नहीं	60	20
	कुल	300	100

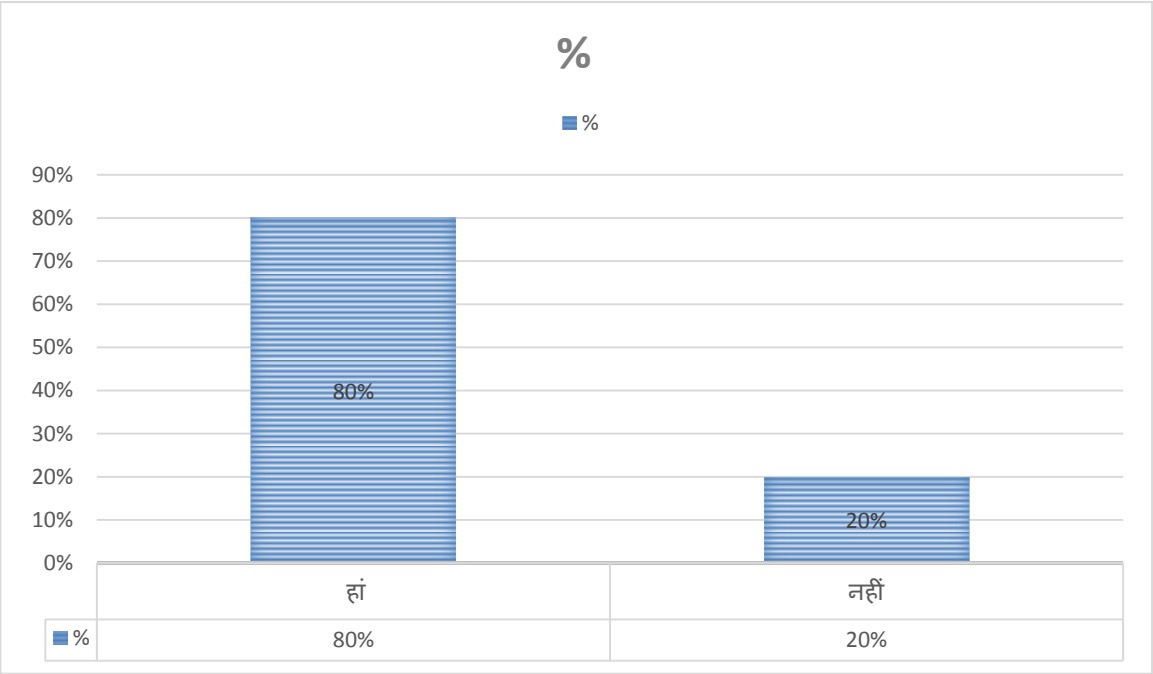

उपरोक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि 300 उत्तरदाताओं में से 240 अर्थात 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं महिलायें के स्वयं सहायता समूह की सभा की बैठकों में भाग लेते है जबकि 60 अर्थात 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहां अभी भी समूह की सभाओं की बैठकों में भाग नहीं लेते है।

इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता महिलायें स्वयं सहायता समूह की सभाओं की बैठकों में भाग लेते है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 11, Nov- 2023
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सारिणी क्र. –2

हितग्राही को एन.आर.एल.एम के अंतर्गत रोजगार से संबंधित जानकारीः–

क्र.	हितग्राही परिवार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हां	250	83.4
2.	नहीं	50	16.6
	कुल	300	100

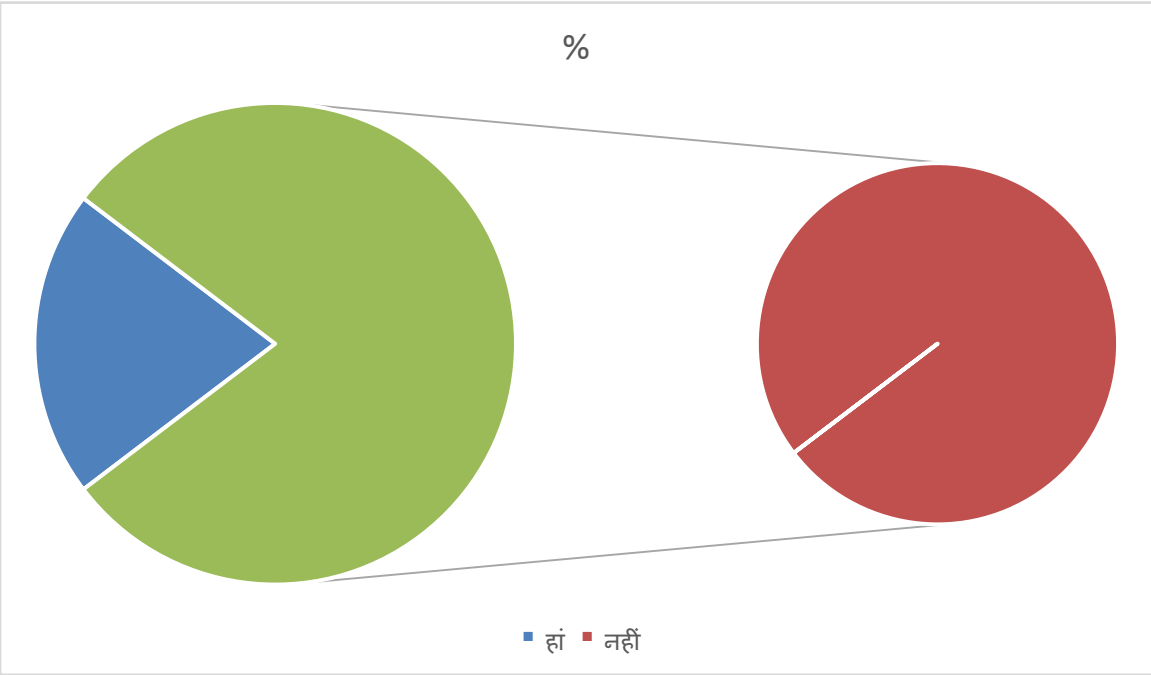

उपरोक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि 300 उत्तरदाताओं में से 250 लोगों को एन.आरएएल.एम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसका 63.4 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है। उसी प्रकार 50 लोगों को कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है जिसका 16.6 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 11, Nov- 2023
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों को पैदा करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इसलिये सर्वाधिक लोग लाभांवित हुये है जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है।

सारिणी क्र. –3

हितग्राही परिवार को प्राप्त रोजगार के प्रकार से संबंधित जानकारी

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कृषि उपकरण	80	26.6
2.	पशुधन	120	40.0
3.	लघु एवं कुटीर उद्योग	78	26.0
4.	वनों के माध्यम से	12	4.0
5.	अन्य	10	3.4
	योग	300	100

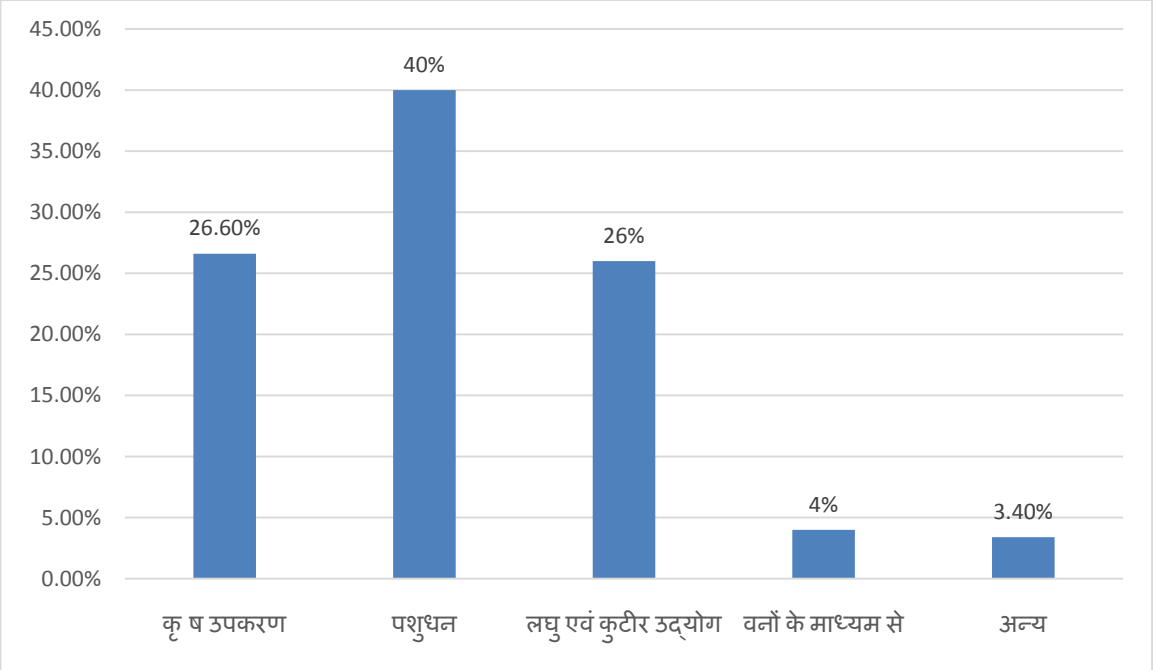

उपरोक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्राप्त ऋण से 300 उत्तरदाताओं में से 80 लोगों को अपने कृषि के लिये कृषि उपकरण खरीदकर या

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 11, Nov- 2023
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

उसकी दुकान लगाकर आय में वृद्धि हुई है जिसका 26.6 प्रतिशत है एवं 120 लोगों ने पशुधन को खरीदा एवं बेचा है जिसका 40 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है। उसी प्रकार 78 लोगों ने प्राप्त ऋण से लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने में मदद मिली है जिसका 26 प्रतिशत है एवं 12 लोगों ने प्राप्त ऋण से वनोपज खरीद–बेचकर आय प्राप्त की है जिसका 4 प्रतिशत है। 10 लोगों ने अन्य प्रकार से प्राप्त ऋण का उपयोग कर धनार्जन किया है जिसका 3.4 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एन. आर.एल.एम के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से लोग जुडकर अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

सारिणी क्र. –4

योजना से रोजगार में वृद्धि से संबंधित जानकारी

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	ळां	270	90
2.	नहीं	30	10
	योग	300	100

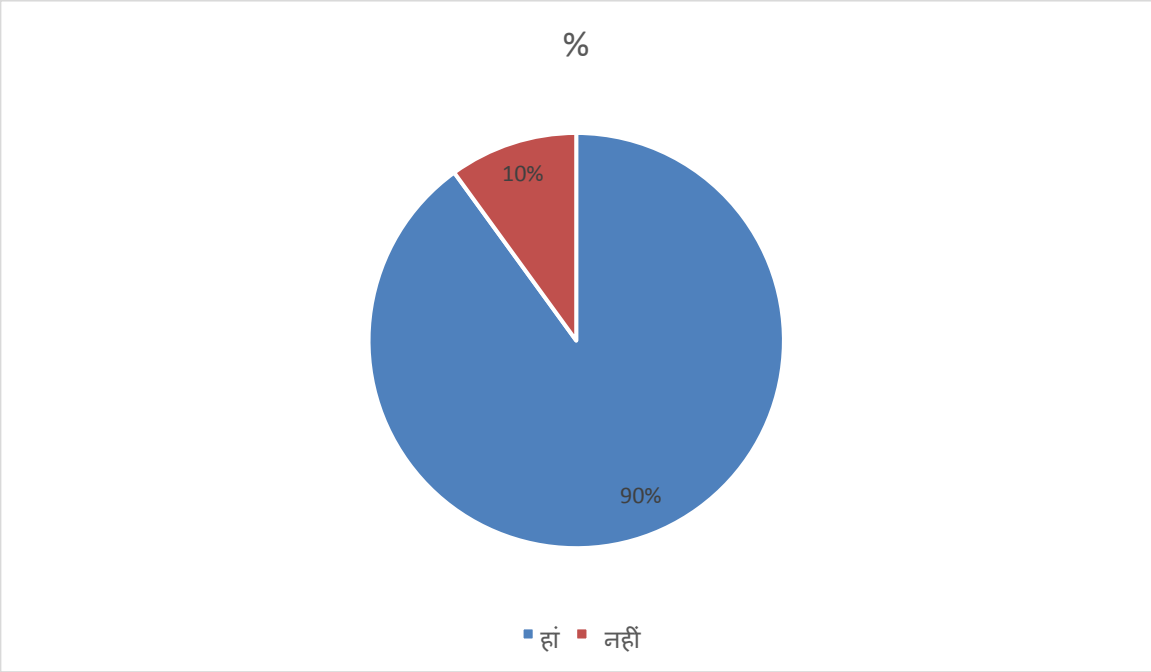

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि 300 उत्तरदाताओं में से 270 लोग के अनुसार इय योजना से रोजगार में वृद्धि हुई है अर्थात 90 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है। उसी प्रकार 30 लोग के अनुसार रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है जिसका 10 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है।

अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिल रहा है एवं उन्हें रोजगार की प्राप्ति होने से उनका आर्थिक स्तर में वृद्धि हो रही है।

निष्कर्षः–

1. गांवों में अधिकांश लोग कृषि कार्य करते है, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिकाशं ग्रामीण लोगों के आजीविका का साधन कृषि ही होता है।
2. खरगोन जिले के अनुसूचित जनजाति के लोगों पर एनआरएलएम से उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में प्रभाव पडा।
3. इस योजना से दिन–प्रतिदिन इस जिले के लोगों को लाभ मिल रहा है जिसस इनकी आर्थिक स्तर में वृद्धि हो रही है।
4. एन. आर.एल.एम के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से लोग जुडकर अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
5. इस योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों को पैदा करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इसलिये सर्वाधिक लोग लाभांवित हुये है जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है।
6. अधिकांश उत्तरदाता समूह की सभाओं की बैठकों में भाग लेते है।
7. 1.50 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोग बहुत कम है। ग्रामीणों को गांव में काम न मिलना, वर्षा का समय पर न होना या कभी–कभी वर्षा अधिक हो जाना आदि का ग्रामीण जनजातियों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

संदर्भः–

- डां. महिपाल (2002), ''गरीबी उन्मूलन की व्यूहरचना" कुरूक्षेत्र, अगस्त पृ. 38–40
- अग्रवाल सुबोध (2004), "महिला स्वयं सहायता समूहों की कारगर भूमिका" कुरूक्षेत्र, मार्च पृ. 42–43

- भण्डारी प्रदीप (2004), "उतराचंल के विकास में स्वयं–सहायता समूहों की भूमिका" कुरूक्षेत्र अगस्त पृ. 34–38
- श्रीवास्तव मंयक (2009), ''स्वयं सहायता समहों से बदलती गांवों की तस्वीर" कुरूक्षेत्र जून पृ. 33–35